न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 40 / 2018

1 रतीराम पुत्र औंकार उम्र 64 वर्ष जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नित्यानन्द पुत्र देबू।
2 अशोक पुत्र नित्यानन्द।
3 रविन्द्र पुत्र नित्यानन्द।
4 सोनू पुत्र नित्यानन्द।
5 बलबीर पुत्र मामन।
6 अमर सिंह पुत्र मामन।
7 नृसिंह पुत्र सन्दल।
8 देवेन्द्र पुत्र पृथ्वी सिंह।
9 राजबाला पत्नी पृथ्वी सिंह समस्त जाति अहीर निवासीगण सोहली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 10.04.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना बमुकदमा उनवानी नित्यानन्द बनाम रतीराम वगैरह मुकदमा नम्बर 1641 / 2015 आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

-निर्णय-

दिनांकः- 06.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 1641/2015 में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम सोहली तहसील बुहाना की भूमि खसरा नम्बर 19,20,21 में जाने के लिये कदीमी व कटानी रास्ते से हाल खसरा नम्बर 22/3 से संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार 10 फिट चौड़ा रास्ता कायम करने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी को पूर्व से ही स्वंय की कृषि भूमि में जाने का रास्ता उपलब्ध है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थी को रास्ता चौड़ा करवाना था। वैकल्पिक रास्ता नही होने पर धारा 251ए के नियम 69 के प्रावधान लागु होते है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ने प्रकरण के गुणावगुण पर कोई बहस नहीं की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इस धारा में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित करने का आज्ञापक प्रावधान है। विचारण न्यायालय ने इसकी पालना नही कर विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रावधानों की पालना कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर